# [भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## <u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली तारीख 🙎 जून, 2022

सा.का.नि......(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रिजस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 में,-
- (i) नियम 4 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्निलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(4)(क) जहाँ रजिस्ट्रार, प्ररूप एसटीके-2 में किए गए आवेदन की जाँच करने पर, यह पाता है कि आगे और जानकारी माँगना आवश्यक है या यह पाता है कि ऐसा आवेदन अथवा उसके साथ उपाबद्ध कोई दस्तावेज किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हैं, तो वह आवेदक को यह सूचित करेगा कि वह ऐसी त्रुटियों को दूर करे और ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर पूर्ण प्ररूप को पुनःप्रस्तुत करे, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रार इलेक्ट्रानिक रिकार्ड में ऐसे प्ररूप को अमान्य मानेगा, और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।
- (ख) प्ररूप या दस्तावेज के पुनःप्रस्तुत करने के पश्चात्, यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि प्ररूप या दस्तावेज किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण है, तो वह ऐसी त्रुटियों को हटाने और प्ररूप को पूर्ण करने के लिए पंद्रह दिन का आगे और समय देगा, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रार इलेक्ट्रिक रिकार्ड में प्ररूप को अमान्य मानेगा, और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।

- (ग) कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व यदि प्ररूप एसटीके-2 में आवेदन की कोई पुनःप्रस्तुति की गई है तो ऐसी पुनः प्रस्तुति को ऐसे प्ररूप की पुनःप्रस्तुतियों की अधिकतम संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।"।
- (ii) प्ररूप सं. एसटीके-1, प्ररूप सं. एकटीके-5 और प्ररूप सं. एसटीके-5क के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएँगे, अर्थात्:-

### "प्ररूप सं. एसटीके-1

रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी रजिस्टर से किसी कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 नियम 3 के अनुसरण में]

#### भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय......(राज्य) (कंपनी रजिस्ट्रार का पता)

(कंपनी रजिस्ट्रार का पता)	((() -1)
पत्र सं	तारीख
संदर्भः	
कंपनी अधिनियम, 2013 में मैसर्सके मामर	ने में
सेवा में,	
(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) जाता है कि उपलब्ध अभिलेख के अनुसार,-	) के अनुसरण में, नोटिस दिया
<ul> <li>कंपनी अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर</li> <li>असफल रही है;</li> </ul>	अपना कारोबार प्रारंभ करने में

- निर्मातिकाल पूर्ववर्ती दो वितीय वर्षों की अविध में कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही है और इस अविध में धारा 455 के अधीन एक निष्क्रिय कंपनी का स्तर प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है;
- □ ज्ञापन के अभिदाताओं ने अभिदान का भुगतान नहीं किया है जो उन्होंने किसी कंपनी के निगमन के समय करने का वचन दिया था और धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन उसके निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर इस आशय की कोई घोषणा फाइल नहीं की गई है।

# (जो लागू है उस पर निशान लगाएं)

- (2) अतः, पूर्वोक्त कारण/कारणों के आधार पर, मैं कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाना चाहता हूं और आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों, यदि कोई हो, सहित अपना अभ्यावेदन भेजें।
- (3) जब तक कि उपर्युक्त समयाविध के भीतर अन्यथा कारण न बताया जाए, उपर्युक्त कंपनी का नाम कंपनी रिजस्टर से हटाया जा सकता है। तथापि, कंपनी के निदेशक अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

कंपनी रजिस्ट्रार

सेवा में, कंपनी/सभी निदेशक

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अन्सार डाक भेजने का पता

प्रति, सभी निदेशकों कोः [यदि नोटिस केवल कंपनी के लिए जारी किया जाता है]

# प्ररूप सं. एसटीके - 5 सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

# भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय (कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)

सार्वजनिक सूचना सं	तारीख
संदर्भः	
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के अधीन	मैसर्स, भैसर्स
कंपनियों का	ं नाम हटाने के मामले में।
1. यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह वि	
<del>कि</del> ,-	
(i) निम्नलिखित कंपनियों ने अपने निगमन के एक वर्ष के अ	ीतर कारोबार आरंभ नहीं किया है,
अर्थात्:-	
मैसर्स (कंपनियों के नाम	इंगित करें);
मैसर्स	
(ii) निम्नलिखित कंपनियों ने दो पूर्ववर्ती वित्त वर्षों में कोई कार	बार या प्रचालन नहीं किया है और
इस अवधि के भीतर धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी की	स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई
आवेदन नहीं किया है, अर्थात्:-	
मैसर्स (कंपनी का नाम इ	इंगित करें);
मैसर्स	
(iii) निम्नलिखित कंपनियों में, ज्ञापन के अभिदाताओं ने अ <sup>8</sup>	नेदान का भ्गतान नहीं किया, जो
उन्होंने कंपनी के निगमन के समय करने का वचन किया था त	•
अधीन इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आ	शय की घोषणा दायर नहीं की गयी
है, अर्थात्:-	
मैसर्स (कंपनी का नाम इ	इंगित करें);
मैसर्स	

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हों, इस सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उन का विघटन किया जाए।

(2) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपित है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपित भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार

# प्ररूप संख्या एसटीके-5क सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (4) और उपधारा (1) और कंपनी (कंपनी रिजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7(1) के द्वितीय परंतुक अनुसरण में।

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय (कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)

सार्वजनिक	सचना	सं	तारीख	*************
(1140114141	17-1-11	<b>(1)</b>	(IIXIG	*************

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित कंपनियों के नाम हटाने के मामले में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:-

- 1. सूचना दी जाती है कि, कंपनी रजिस्टार के पास विश्वास करने का उचित कारण है कि कंपनियो, जिन का नाम ............. (मंत्रालय की वेबसाइट के पृष्ठ का वेब लिंक प्रदान करें जहां नाम सूचीबद्ध हैं) पर सूचीबद्ध हैं।,-
- (i) निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार शुरू नहीं किया है;

- (ii) दो तत्काल पूर्ववर्ती वितीय वर्षों की अविध में कोई कारोबार या प्रचालन नहीं किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन कंपनी की निष्क्रिय स्थिति प्राप्त करने हेतु इस अविध के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है;
- (iii) ज्ञापन के अभिदाताओं ने उस अभिदान का भुगतान नहीं किया, जिसे कंपनी के निगमन के समय करने का वचन किया था तथा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा दायर नहीं के गई है;

[जो लागू न हो उसे काट दे]

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हों, सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उनका विघटन किया जाए।

2. यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपित है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपित भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार

0/6

[फा.स.1/28/2013-सीएल-V (पार्ट)]

े पीर्ज पार्ण्डेंच्य
(मनोज पाण्डेय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.िन 1174(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2016 के अधीन प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 355 (अ) तारीख 12 अप्रैल 2017, सा.का.िन. 350 (अ) तारीख 8 मई 2019, तथा सा.का.िन 420 (अ) तारीख 29 जून 2020 के द्वारा संशोधित किए गए।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, dated the June, 2022

- G.S.R......(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016, namely:
  1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016, -
- (i) in rule 4, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
  "(4) (a) Where the Registrar, on examining the application made in Form STK-2, finds that it is necessary to call for further information or finds such application or any document annexed therewith is defective or incomplete in any respect, he shall inform to the applicant to remove the defects and re-submit the complete Form within fifteen days from the date of such information, failing which the Registrar shall treat the Form as invalid in the electronic record, and shall inform the applicant, accordingly.

- (b) After the re-submission of the Form or document, if the Registrar finds that the Form or document is defective or incomplete in any respect, he shall give further time of fifteen days to remove such defects or complete the Form, failing which the Registrar shall treat the Form as invalid in the electronic record and shall inform the applicant, accordingly.
- (c) Any re-submission of the application in Form STK-2 made prior to the commencement of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2022 shall not be counted for the purposes of reckoning the maximum number of re-submissions of such Form.".
- (ii) for Form No. STK 1, Form No. STK 5 and Form No. STK-5A, the following Forms shall respectively, be substituted, namely:-

### "Form No. STK-1

Notice by Registrar for removal of name of a company from the register of companies

[Pursuant to sub-section (1) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 3 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies)
Rules, 2016]

#### **GOVERNMENT OF INDIA**

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar Of Companies, ...... (State)

(Address of ROC)

Letter No	Dated:
	Reference:
In the matter of M/s	In the matter of Companies Act, 2013
То,	
(1) Pursuant to sub-section hereby given that as per av	(1) of section 248 of the Companies Act, 2013, notice is ailable record,-
□the company has failed incorporation;	to commence its business within one year of its
immediately preceding fina	ying on any business or operation for a period of two incial years and has not made any application within such tus of a dormant company under section 455;
*	
undertaken to pay at the tin	norandum have not paid the subscription which they had ne of incorporation of a company and a declaration to this rithin one hundred and eighty days of its incorporation tion 10A.
	2
(tick whichever is applicabl	le)

5 · 5 ·

- (2) Therefore, on the basis of aforesaid ground(s), I intend to remove the name of company from the register of companies and request you to send your representation along with copies of the relevant documents, if any, within thirty days from the date of receipt of this notice.
- (3) Unless a cause to the contrary is shown within the time period above mentioned, the name of the above mentioned company shall be liable to be removed from the register of companies. However, the directors of the company shall be liable for appropriate action under the Act.

Registrar of Companies

То

The Company/All Directors

Mailing address as per record available in Registrar of Companies Office

Copy to all directors: [in case the notice issued to the company only]

## FORM No. STK - 5

#### **PUBLIC NOTICE**

[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

#### **GOVERNMENT OF INDIA**

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar Of Companies

(Address of RoC)

P	Public Notice No Date:
	Reference:
Ir	n the matter of striking off of companies under section 248 (1) of the Companies Act,
20	013, of M/s, M/s, M/s
	. Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to elieve that, -
	) the following companies have not commenced business within one year of their acorporation, namely :-

M/s	(indicate names of companies);
M/s	;
period of two immediately p	have not been carrying on any business or operation for a preceding financial years and have not made any application aining the status of dormant company under section 455
	(indicate names of companies);
subscription which they ha a company and a declaration	ties, the subscribers to the memorandum have not paid the ad undertaken to pay at the time of incorporation of to this effect has not been filed within one hundred and on under sub-section (1) of section 10A, namely:-
	(indicate names of companies)
companies from the register of	remove/strike off the names of the above mentioned of companies and dissolve them unless a cause is shown to ys from the date of this notice.
rom the register of companie	e proposed removal/striking off of name of the companies es may send his objection to the office address mentioned ays from the date of publication of this notice.

Registrar of Companies
FORM No. STK - 5A
PUBLIC NOTICE
[Pursuant to sub-section (1) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and second proviso to rule 7(1) of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Office of the Registrar of Companies
(Address of RoC)
Public Notice No Date:
Reference:
In the matter of striking off names of companies under sub-section (1) of section 248 of he Companies Act, 2013, as per details below:—
Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that, the companies, whose names are listed on the (provide web link of the page on Ministry's website where the names are listed),-

.

- (i) have not commenced business within one year of their incorporation;
- (ii) have not been carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and have not made any application within such period for obtaining the status of dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013;
- (iii) the subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A;

[Strike off whichever is not applicable]

and, therefore, proposes to remove/strike off the names of the above mentioned companies from the register of companies and dissolve them unless a cause is shown to the contrary, within thirty days from the date of such notice.

2. Any person objecting to the proposed removal/striking off of name of the companies from the register of companies may send his objection to the office address mentioned hereabove within thirty days from the date of publication of this notice.

Registrar of Companies.".

[F.No.1/28/2013-CL-V(Part)]

Manoj Pandey,

Joint Secretary to the Government of India

0/6

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-section (i) vide number G.S.R. 1174(E), dated the  $26^{th}$  December, 2016 and amended vide notification numbers G.S.R 355(E), dated the  $12^{th}$  April, 2017, G.S.R 350(E) dated the  $8^{th}$  May, 2019 and G.S.R 420(E), dated the  $29^{th}$  June, 2020.